

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(74)वित्त-1(1)आय.व्य/2019

जयपुर, दिनांक 18 मई, 2020

कोषाधिकारी,
कोष कार्यालय, उदयपुर।

स्वीकृति संख्या - २७ /2020-21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयुक्त, टीएडी, उदयपुर, के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. 1600.00 लाख मात्र हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी स्वीकृति क्रमांक एफ.6/सीटीएडी/लेखा/प्रस्ताव/275(1)/2020-21 दिनांक 14.05.2020 (स्वीकृति संख्या 01/2020-21) में अंकित शर्तों के अनुसार रुपये 1600.00 लाख (अक्षरे रुपये सोलह करोड़) मात्र की राशि आयुक्त, टीएडी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में निम्नांकित बजट शीर्ष को प्रभारित करते हुये हस्तान्तरित कर दी जावे :-

मौंग संख्या	बजट शीर्ष	राशि (लाखों में)
30	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना (11)-संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाएं (वि.के.स.) [03]-एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17- वृहद निर्माण कार्य (केन्द्रीय सहायता)	1600.00

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

sd

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, जयपुर।
7. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

हस्ताक्षर

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)